

# विद्यार्थियों की शुल्क जमा करने हेतु विशेष जानकारी

सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के माता-पिता द्वारा शुल्क जमा करने के वैध तरीके निम्नलिखित हैं: -

## ~ ऑनलाइन मोड

- डेबिट कार्ड - वीज़ा, मास्टर, माएस्ट्रो, रुपये कार्ड आदि।
- क्रेडिट कार्ड - वीज़ा, मास्टर, रुपये कार्ड आदि।
- इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग
- UPI
- POS मशीन (जहाँ किसी KV के पास 8 किमी की दूरी के भीतर कोई बैंक शाखा नहीं हो)।

## ~ BBPS

- भारत बिल पे-सक्षम चैनल/ऐप्स जिनमें कई भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं।

## ~ ऑफ़लाइन मोड

- यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की किसी भी शाखा में भौतिक चालान के माध्यम से शुल्क जमा की जा सकती है।

## ध्यान दें: -

1. विद्यालय काउंटर पर या KVs के किसी भी कार्यालय कर्मचारी (स्थायी या संविदा) के माध्यम से कैश में शुल्क जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो माता-पिता/छात्रों को होने वाला कोई भी नुकसान उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी।
2. माता-पिता UBI शुल्क पोर्टल से वास्तविक/प्रामाणिक UBI शुल्क रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, 'प्रिंट रसीद' बटन पर क्लिक करके।
3. अभिभावक केवल वैध URL (<https://epay.unionbankofindia.bank.in/kvchallan/default.aspx>) के माध्यम से ही भुगतान ऑनलाइन मोड में करते समय शुल्क जमा करें।